

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०- 180/2016-1A

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत
जॉच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
01.11.2022	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०मिति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u>जंगल आदि</u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारंभ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>पारसरी</u> थाना नं० <u>224</u> खाता सं० <u>7</u> प्लॉट सं० <u>22, 28</u> <u>रकबा 0.30</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>जंगल आदि</u> अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>11</u> के पृष्ठ सं० <u>25</u> पर जमाबंदी रैयत <u>रामऔर पालवान</u> <u>दोराचकुआर पालवान</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना राक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य गिजी लाग एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रशीद की गांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं	

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में अनुमरण पदाधिकारी, छत्तरपुर के निरीक्षक-दोखली वाद सं० 36/1994-95 कागज तस्दीक वर्ष 2022-23 को समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.01.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.01.23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा...

छत्तरपुरी मौजा नं० 224 खाता सं० 7 प्लॉट सं० 22, 28, 30, रकबा 0.20.00 किस्म जंगल खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते

की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि उक्त प्लॉट का किस्म जंगल खतियान दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदास राम प्रसाद

रायबन प्रतीकवा देवी देवी जमुना पासवान पत्नी भीमों के नाग से पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 29/3 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 29/3 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख गूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


07/01/23
अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

**संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चेक-लिस्ट**

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार, छतरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	धाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
रामोतल पालवान	पल्लार	224	4	24/3	0.35	गिरमिहल	जमीन
राजकुमार पालवान			5	28/3	0.35	माहिम	जमीन

पिता - राम पालवान

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- अभल हाथ

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी-II के पत्रिका 1 प्रविष्टिगत
अंश में बंदोबस्ती सं 36/94-95 के अधिनियम
पक्ष छतरपुर जिला जमा भरा

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले
कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारियों
के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार
तथा कर्मचारी/कर्मियों का नाम अंचल कार्यालय में
संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

अधुनिक पदाधिकारी,
छतरपुर

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी
के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार :-

(क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष
(वाद संख्या एवं पारित अवशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा
में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

(ग) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वापिस रिटर्न से

(ग) साहित्य-खारिज/भू-उत्पत्ताधारण/नामाधारण पंजी से :-

(ख) क्या दिनांक—01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार, द्वारा निर्गत जमीनदारी एसीब साल—दर—साल निर्गत है? :- १८)

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध नही
जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

14. अंशला निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

14. अंशल निरीक्षक का स्थलीय जीवाणुनाशक मेलन सहित स्पष्ट प्रतिक्रिया
 का ज्ञान अतिरिक्त इस प्रतिक्रिया ज्ञान प्रतिक्रिया
 का ज्ञान किया, यह प्रमाण। अतः उपरोक्त ज्ञानावली को अंशल निरीक्षक
 की अनुमति किया जा सकता है।

अनुमण्डल पदा.,
छत्तरपुर ।

अपर समाहर्त्ता,
पलामू ।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- दादासा पातकरी पंजी नं. 31 वीं के
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 111 पृष्ठ सं. 3 पर कायम।

गौजा	धाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
<u>पातकरी</u>	<u>224</u>	<u>7</u>	<u>27/3, 28/3</u>	<u>0.70 एकड़</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी नं. 31 वीं के जिल्द सं. 36/94-95 6 जून 2021
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- दादासा पातकरी
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- 31
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- N/A

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- अवैध भू-बंदाबस्ती
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) :- अवैध भू-बंदाबस्ती

पंजी नं. 31 वीं के जिल्द सं. 36/94-95 6 जून 2021

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>01.</u>	<u>0150787304</u>	<u>24.12.2022</u>	<u>2022-23</u>

31

31

31

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

बाद अभिलेख सं० 180 / 20¹⁶⁻¹⁷ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम रामवीर पारसवान

परि ललन देवी

पिता राजकुमार पारसवान

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा फातर चरी थाना नं० 224 खाता सं० 7 खेसरा नं० 28/3^{27/3} रकबा 70 से संबंधित आपके नाम से ह० नं० 11 के पंजी-II भाग 11 के पृष्ठ 29 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

रामवीर पारसवान

800022 6218

24/12/2022



08/12/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।